डिक्री व मुकदमें इत्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सावंरलाल बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 89, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 82/2020
पेश करने की दिनांक – 04.09.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू डा0 राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक मंगलाराम चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.48 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 12 सन् 2020 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:37:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 82/2020

उनवान

सांवरलाल उर्फ सांवरा पुत्र रामचन्द्र उर्फ रायचन्द्र, जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद

–– वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री मंगलाराम चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 अ राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 17.12.20

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम देराठू में स्थित है जिसका सन् फसली, चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2013–16, 2017 से 2022, वंर्किग जमाबंदी व हाल जमाबंदी अनुसार वर्णन निम्न प्रकार है :–

हाल जमाबंदी		वंर्किग जमाबंदी		चौसाला जमाबंदी		सन् फसली 1349	
ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा
1515	0.48	3990	5–2–10	3803	1–7–0	3803	1–7–0
1516	0.35			3808	2–3–0	3808	2–3–0
				3809	1–12–10	3809	1–12–10

उपरोक्तानुसार चौसाला खसरा नम्बर 3803, 3808 व 3809 वादी की पुश्तैनी खातेदारी की है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 3990 रकबा 5–2–10 की आराजी प्रतिवादी कार्मिको द्वारा बिना किसी कारण राज्य सरकार के खातें में दर्ज कर दी। जिस पर वादी के पिता रामचन्द्र उर्फ रायचन्द्र पुत्र ज्वारा द्वारा राजस्व ऐजेन्सी के समक्ष आवेदन करने पर वंर्किग खसरा नम्बर 3990 रकबा 5–2–0 में से 2–3–0 भूमि जरियें तामन्तकरण संख्या 184 वादी के पिता के नाम अंकन कर दी। जिसके हाल खसरा नम्बर 1516 रकबा 0.35 है। तथा उक्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज है किन्तु उक्त आराजी की शेष भूमि 3–0–0 हाल खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.48 है0 भूमि आज दिनांक वादी के नाम अंकन नहीं की गयी है। चौसाला खसरा नम्बर 3803 रकबा 1–7–0 व खसरा नम्बर 3808 रकबा 2–3–0 के मूल खातेदार ज्वारा पुत्र हरलाल थे जिनकी मृत्यु हो गयी है। जिसका वारिस वादी ही है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी है। आराजी मुतनाजा पर वादी व उसके पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:37:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

लागू होने से पहले से आज दिनांक तक काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त कथनों की रूह चौसाला जमाबंदी, सन् फसली खसरा गिरदावरी, चौसाला खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015 से 2018 व 2025 से 2028 व खसरा परिवर्तनशील व धारा 91 के नोटिस से होती है। दौराने बंदोबस्त उक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गयी अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के चौसाला खसरा नम्बर 3803 रकबा 1–7–0 व 3808 रकबा 2–3–0 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2013–16 में खतौनी संख्या 1626 में ज्वारा पुत्र हरलाल के नाम दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में खसरा नम्बर 3990 रकबा 5–2–10 के सामने रकबा 2–3–0 नामान्तकरण संख्या 184 से रामचन्द्र पुत्र ज्वारा के नाम अंकन दर्ज है। राजस्व अभिलेख के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.48 सिवायचक खातें में दर्ज है। वादी को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार बेदखल किया जाना उचित है। आराजी मुतनाजा हाल राजस्व रेकार्डमें सिवायचक दर्ज होने से वादी का वाद खारिज योग्य है। प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
—— वादी

2. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर स्थायी निषेघाज्ञा प्रप्ति का अधिकारी है ?
—— वादी

3. आया वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज होने से वाद खारिज योग्य है ?
—— प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में प्रदर्श पी01 से प्रदर्श पी0 39 राजस्व अभिलेख व दस्तावेज पेश किये तथा वादी सांवरलाल व स्वतंत्र गवाह पोखरमल के बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने हल्का पटवारी देराठू के बयान दर्ज करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की है। चौसाला जमाबंदी व खसरा गिरदावरी से उक्त तथ्यों की पुष्टि भी होती है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया है। उक्त आराजी किस कारण से सिवायचक दर्ज की गयी इस बाबत कोई आदेश अथवा नामान्तकरण भी राज0 पैरोकार ने पेश नही किया है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

राज0 पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि आराजी मुतनाजा के खातेदारी के तथ्य वादी स्वयं सिद्ध करे। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि सिवायचक है जिस पर वादी का कोई हक व अधिकार नही है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत है :–

तनकी संख्या 1 :– ग्राम देराठू के चौसाला खसरा नम्बर 3803 रकबा 1–7–0, 3808 रकबा 2–3–0 व 3809 रकबा 1–12–10 पूर्व राजस्व अभिलेख चौसाला जमाबंदी में खातेदारी दर्ज थी। वादी द्वारा प्रस्तुत सन् फसली, चौसाला जमाबंदी, खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:37:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

क्त आराजी पर वादी व उसके पूर्वजों का कब्जा काश्त भी सिद्व होता है। उक्त समस्त साबिक खसरा नम्बर से वंर्किग खसरा नम्बर 3990 रकबा 5–2–10 बने है। जिसमें से 2–3–0 भूमि जरियें नामान्तकरण संख्या 184 वादी के पिता के नाम खातेदारी अंकन की गयी। पूर्व राजस्व अभिलेख चौसाला जमाबंदी में आराजी मुतनाजा वादी के पूर्वज के खातेदारी होना व वंर्किग खसरा नम्बर 3990 में से 2–3–0 भूमि वादी के पिता के नाम अंकन होने का कथन राज0 पैरोकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया है। चौसाला खसरा नम्बर 3803, 3808 व 3809 के वंर्किग खसरा नम्बर 3990 रकबा 5–2–10 के शेष रकबे से हाल खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.48 बना है। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी किस कारण से सिवायचक दर्ज हुयी यह राज0 पैरोकार ने अपने जवाब व साक्ष्य में स्पष्ट नही किया है। वादग्रस्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू दिनांक को वादी के पूर्वज के नाम अधिकार अभिलेख में खातेदारी दर्ज थी। साथ ही उक्त आराजी पर वादी व उसके पूर्वजों का लगातार कब्जा काश्त भी सिद्व होता है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज बिना किसी आधार के परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से उक्त कथनों की ताईद भी होती है। राज0 पैरोकार ने वाद के खण्डन हेतु कोई दस्तावेज भी पेश नही किये है। अतः वादी हाल इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2 व 3 :–</u>

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा को बंदोबस्त विभाग ने त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही था। राज पैरोकार का कथन है कि आराजी मुतनाज़ा सिवायचक होने से वाद खारिज योग्य है किन्तु प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किया है जिसके आधार पर आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज की गयी हो। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी किस कारण से सिवायचक दर्ज की गयी यह राज0 पैरोकार ने स्पष्ट नही किया है। मात्र सिवायचक होने के आधार पर आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित नही है। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादी का उक्त आराजी पर लगातार कब्जा काश्त सिद्व होने व वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होने के कारण प्रतिवादी का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.48 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस निर्णय की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:37:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद